रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1131] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2006/आश्विन 4, 1928
No. 1131] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2006/ASVINA 4, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

(आयकर)

का.आ. 1608(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क, सर्वे सं. 31/1 और 2ए, "वेकफील्ड एस्टेट्स", नागर रोड, पुणे-411014, महाराष्ट्र, पार्ट सर्वे सं. 31/1 और 2ए, ग्राम वाडगांवोशेरी, तालुका हवेली, वेकफील्ड एस्टेट्स, नागर रोड, पुणे-411014 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है ।

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 1-12-2004 के पत्र सं. 15/27/04-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है ;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क, पुणे तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है ।

[अधिसूचना सं. 263/2006/फा. सं. 178/1/2006-आ.का.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

अनुबंध

नियम एवं शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क, पुणे द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क,

(ii) प्रस्तावित स्थान : पार्ट सर्वे सं. 31सी और 2 ए, वाडगांवोशेरी, तालुका हवेली, वेकफील्ड एस्टेट्स नागर रोड, पुणे-411014

(iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 61,780 वर्ग मीटर

(iv) प्रस्तावित कार्यकलाप :

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

क्रम सं.	एन आई सी संहिता				विवरण
	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
ध	8	89	892	-	डाटा प्रोसेसिंग, साफ्टवेयर डेवेलपमेंट एंड कम्प्यूटर कंसल्टैंसी सर्विसिज

(v) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 90%

(vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत : 10%

(vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या : 30 यूनिटें

(viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में) : 59,58,50,000/-

(ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में) : 26,60,00,000/-

(x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में) : 59,58,50,000/-

(xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि : 1 फरवरी, 2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा । ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा ।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकाम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथ ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं ।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी । इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर-कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है ।

5. आवश्यक अनुमोदनों, जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए अनुमोदन शामिल है, को प्रवृत्तनीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा ।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

7. मैसर्स वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क, पुणे उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरम्भ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1(xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उपधारा (4) (iii) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अंतर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क, पुणे ऐसी किसी प्रतिक्रिया की अवैधता के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो ।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है ।

10. यदि मैसर्स वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क, पुणे (अर्थात अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे ।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं । केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है । मैसर्स वेकफील्ड आई टी-सिटी इन्फोपार्क, पुणे औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है ।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान मे किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

(INCOME-TAX)

S.O. 1608(E).—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) *vide* number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and *vide* number S.O. 354(E), dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006.

And, whereas, M/s. Weikfield IT-Citi Infopark, S. No. 31/1 & 2A, "Weikfield Estates", Nagar Road, Pune-411014, Maharashtra, is developing an Industrial Park at part Survey No. 31/1 & 2A, Village Vadgaonsheri, Taluka Haveli, Weikfield Estates, Nagar Road, Pune-411014;

And, whereas, the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/27/04-IP&ID dated 1-12-2004 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80-1A of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s. Weikfield IT-Citi Infopark, Pune, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

[Notification No. 263/2006/F. No. 178/1/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Weikfield IT-Citi Infopark, Pune.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Weikfield IT-Citi Infopark

(ii) Proposed location : Part survey No. 31/1 & 2A, Village Vadgaonsheri, Taluka Haveli, Weikfield Estates, Nagar Road, Pune-411014.

(iii) Area of Industrial Park : 61,780 Square meters

(iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code

	NIC Code				Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
D	8	89	892	-	Data Processing, Software Development and Computer Consultancy Services.

(v) Percentage of allocable earmarked for industrial use : 90%

(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use. : 10%

(vii) Minimum number of industrial units : 30 Units

(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees). : 59,58,50,000/-

(ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees). : 26,60,00,000/-

(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees). : 59,58,50,000/-

(xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park. : 1st February, 2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Weikfield IT-Citi Infopark, Pune, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1(xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under Sub-section (4)(iii) of Section 80IA of the Income Tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Weikfield IT-Citi Infopark, Pune, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if :

   (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains, wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.;

   (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Weikfield IT-Citi Infopark, Pune, transfers the operation and maintenance of the industrial park (*i.e.*, transferor undertaking) to another undertaking (*i.e.*, the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 alongwith a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Weikfield IT-Citi Infopark, Pune, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

(आयकर)

का.आ. 1609(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निमित्त और अधिसूचित की है ;

3034 GI/06-2

और जबकि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, औद्योगिक क्षेत्र सिलोरा, जिला अजमेर, राजस्थान में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है ;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 3-12-2005 के पत्र सं. 15/111/05-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है ;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है ।

[अधिसूचना सं. 264/2006/फा. सं. 178/25/2006-आ.का.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

अनुबंध

नियम एवं शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

(ii) प्रस्तावित स्थान : औद्योगिक क्षेत्र सिलोरा, जिला अजमेर, राजस्थान

(iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 139.60 एकड़

(iv) प्रस्तावित कार्यकलाप :

एनआईसी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

	एन आई सी संहिता				
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	विवरण
क	2 और 3	–	–	–	विनिर्माण कार्यकलाप

(v) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 93.55%

(vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत : 6.45%

(vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या : 30 यूनिटें

(viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में) : 598.84 लाख

(ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में) : शून्य

(x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में) : 59,58,50,000/-

(xi) औद्योगिक पार्क के आरम्भ होने की प्रस्तावित तिथि : 31-03-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा । ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा ।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं ।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी । इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर-कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है ।

5. आवश्यक अनुमोदनों, जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए अनुमोदन शामिल है, को प्रवृत्तनीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा ।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1(vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने है।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरम्भ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1(xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उपधारा 4(iii) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अंतर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी प्रतिक्रिया कीअवैधता के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो ।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है ।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे ।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं । केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है ।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

(INCOME-TAX)

S.O. 1609(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80-IA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) *vide* number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and *vide* number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006.

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005, is developing an Industrial Park at Industrial Area Silora, District Ajmer, Rajasthan;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/111/05-IP & ID dated 3-11-2005 subject to the terms and conditions mentined in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

[Notification No. 264/2006/F. No. 178/25/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited,

(ii) Proposed location : Industrial Area Silora, District, Ajmer, Rajasthan

(iii) Area of Industrial Park : 139.60 Acres

(iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code

	NIC Code				Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	2 and 3	—	—	—	Manufacturing activities

(v) Percentage of allocable area earmarked for industrial use : 93.55%

(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : 6.45%

(vii) Minimum number of industrial units : 30 Units

(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 598.84 lakhs

(ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : Nil

(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees) : 517.82 lakhs

(xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : 31-03-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1(xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4(iii) of Section 80IA of the Income Tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if :

   (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains, wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.

   (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the industrial park (*i.e.*, transferor undertaking) to another undertaking (*i.e.*, the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development and Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

(आयकर)

का.आ. 1610(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निमित और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर -302005 में है, औद्योगिक क्षेत्र सरढाना, जिला पाली, राजस्थान-306401 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 9-5-2006 के पत्र सं. 15/100/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है ;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 265/2006/फा. सं. 178/77/2006-आ.का.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

अनुबंध

नियम एवं शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपूर द्वारा औद्योगिक पार्क की गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

1.	(i)	औद्योगिक उपक्रम का नाम	:	राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपूर
	(ii)	प्रस्तावित स्थान	:	औद्योगिक क्षेत्र, सरढाना, जिला पाली, राजस्थान-306401
	(iii)	औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल	:	153.64 एकड़
	(iv)	प्रस्तावित कार्यकलाप	:	

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

	एन आई सी संहिता				विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	2 और 3	–	–	–	विनिर्माण कार्यकलाप

(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	:	96.00%	
(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित क्षेत्र का प्रतिशत	:	04.00%	
(vii)	औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	:	80 यूनिटें	
(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)	:	2,78,00,000/-	
(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)	:	शून्य	
(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)	:	2,41,79,000/-	
(xi)	औद्योगिक पार्क के आरम्भ होने की प्रस्तावित तिथि	:	31-03-2006	

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा । ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा ।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं ।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उलिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी । इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर-कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है ।

5. आवश्यक अनुमोदनों, जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए अनुमोदन शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा ।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

7 मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1(xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक की उप-धारा 4 (iii) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अंतर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी प्रतिक्रिया की अवैद्यता के लिए स्वंय ही जिम्मेदार होगा, यदि

   (i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो ।

   (ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है ।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 को उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे ।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं । केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है। मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है ।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देगा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

(INCOME-TAX)

S.O. 1610(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for Industrial Park by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) *vide* number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period

beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and *vide* number S.O. 354 (E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan. Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing an Industrial Park at Industrial Area Saradhna, District-Pali, Rajasthan-306 401;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park *vide* Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/100/2005-IP&ID dated 9-5-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the Annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii).

[Notification No. 265/2006/F. No. 178/77/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an Industrial Park by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1.	(i)	Name of the Industrial Undertaking	:	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
	(ii)	Proposed location	:	Industrial Area Saradhna, District-Pali, Rajasthan-306401
	(iii)	Area of Industrial Park	:	153.64 Acres
	(iv)	Proposed activities	:	

Nature of Industrial activity with NIC Code

	NIC Code				Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	2 & 3	—	—	—	Manufacturing

(v)	Percentage of allocable area earmarked for industrial use	:	96.00%
(vi)	Percentage of allocable area earmarked for commercial use.	:	04.00%
(vii)	Minimum number of industrial units	:	80 Units
(viii)	Total investments proposed (Amount in Rupees).	:	2,78,00,000/-
(ix)	Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees).	:	Nil
(x)	Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees).	:	2,41,79,000
(xi)	Proposed date of commencement of the Industrial Park.	:	31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central-tax Laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1(xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4(iii) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

   (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.

   (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Industrial Park (*i.e.*, transferor undertaking) to another undertaking (*i.e.*, the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Industrial Park.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

(आयकर)

का.आ. 1611(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है ;

और, जबकि, मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, आर आई आई सी ओ इंडस्ट्रियल एरिया, सैकेण्ड फेज एक्सटेंशन, बाड़मेर, राजस्थान में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

3037 GI/06-4

और, जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 27-9-2005 के पत्र सं. 15/89/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है ;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 266/2006/फा. सं. 178/27/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

अनुबंध

नियम एवं शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा औद्योगिक पार्क की गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।

1. (i)	औद्योगिक उपक्रम का नाम	:	राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(ii)	प्रस्तावित स्थान	:	आर आई आई सी ओ इंडस्ट्रियल एरिया, सैकेण्ड फेज एक्सटेंशन, बाड़मेर, राजस्थान
(iii)	औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल	:	37.62 एकड़
(iv)	प्रस्तावित कार्यकलाप	:	

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

	एन आई सी संहिता				विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	2 और 3	—	—	—	विनिर्माण कार्यकलाप
(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत		:	71.93%	
(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत		:	5.9%	
(vii)	औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या		:	81 यूनिटें	
(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)		:	81.08 लाख	
(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)		:	शून्य	
(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)		:	66.11 लाख	
(xi)	औद्योगिक पार्क के आरम्भ होने की प्रस्तावित तिथि		:	31-03-2006	

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा । ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा ।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं ।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी । इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है ।

5. आवश्यक अनुमोदनों, जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए अनुमोदन शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा ।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1(vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं ।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1(xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4(iii) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अंतर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी प्रतिक्रिया की अवैद्यता के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो ।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है ।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे ।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं । केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है ।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना ।

3037 GI/06-5

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

(INCOME-TAX)

S.O. 1611(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for Industrial Park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) *vide* number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and *vide* number S.O. 354 (E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing an Industrial Park at RIICO Industrial Area, IInd Phase Extension, Barmer, Rajasthan;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park *vide* Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/89/05-IP&ID dated 27-9-2005 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii).

[Notification No. 266/2006/F. No. 178/27/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an Industrial Park by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited

(ii) Proposed Location : RIICO Industrial Area, IInd Phase Extn., Barmer, Rajasthan.

(iii) Area of Industrial Park : 37.62 Acres

(iv) Proposed Activities :

Nature of Industrial activity with NIC code

	NIC Code				
S. No.	Section	Division	Group	Class	Description
A	2 & 3	–	–	-	Manufacturing

(v) Percentage of allocable area earmarked for industrial use : 71.93%

(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use. : 5.9%

(vii) Minimum number of industrial units : 81 Units

(viii)	Total investments proposed (Amount in Rupees).	:	81.08 lakhs
(ix)	Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees).	:	Nil
(x)	Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees).	:	66.11lakhs
(xi)	Proposed date of commencement of the Industrial Park.	:	31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central Tax Laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1(xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4(iii) of Section 80-IA of the Income Tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

   (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.

   (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Industrial Park (*i.e.*, transferor undertaking) to another undertaking (*i.e.*, the

transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Industrial Park.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.